2020/00111

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

हरिराम वगै0 बनाम हनुमान प्रसाद वगै0

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 22/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
14.07.2020	अपीलांट एड0 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट ने अपनी बहस मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.6.2020 विधि विधान व पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्य के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा मे स्थगन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी कर कानूनी त्रुटि की है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। जिसके कारण आदेश निरस्त योग्य है। हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। चूकि: अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गई है। अत: अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2020 उनवानी हनुमान प्रसाद बनाम शिवदास मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह मे करे। पत्रावली इसी स्तर पर [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर [illegible] से कम हो। राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman

Date: 2021.01.14 15:09:08 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner